"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 163] रायपुर, शुक्रवार दिनांक 6 जुलाई 2012—आषाढ़ 15, शक 1934

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 जुलाई 2012

क्रमांक एफ 87/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/2010/845.—दिनांक 4 जुलाई, 2012 को नगर पंचायत गरियाबंद, जिला-रायपुर, वर्तमान जिला-गरियाबन्द, छ.ग. के 01 अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरर्हित घोषित किया गया है, की सूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

आर. एस. बांधे,
अवर सचिव.

प्रकरण क्रमांक एफ-87/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा-2009

ममता राठौर, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत, गरियाबन्द, जिला-रायपुर, वर्तमान जिला-गरियाबंद, छ.ग.

आदेश

(छ. ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)
पारित दिनांक 4 जुलाई 2012

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), अविभाजित रायपुर के प्रतिवेदन दिनांक 22 फरवरी 2010 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पंचायत गरियाबन्द के अध्यक्ष पद के लिये दिसम्बर 2009 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 5 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 27 दिसंबर 2009 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), अविभाजित रायपुर ने राज्य निर्वाचन आयोग को अपने ज्ञापन दिनांक 22 फरवरी 2010 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ प्रतिवेदित किया कि नगर पंचायत गरियाबन्द के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाली अभ्यर्थी ममता राठौर द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 27 दिसम्बर 2009 के पश्चात् निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने की आखिरी तारीख अर्थात् दिनांक 26 जनवरी 2010 तक विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं किया गया है.

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), अविभाजित रायपुर के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने वाली अभ्यर्थी ममता राठौर को दिनांक 12 मार्च 2010 को कारण बताओ सूचना जारी कर विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय-लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में जवाब 15 दिवस में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई. अभ्यर्थी ममता राठौर द्वारा अपना जवाब दिनांक 31 मार्च 2010 को आयोग को प्रस्तुत किया गया जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि रिश्तेदार की मृत्यु हो जाने के कारण निर्वाचन व्यय लेखा समयावधि में प्रस्तुत नहीं किया जा सका. अभ्यर्थी द्वारा जवाब के साथ कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रिटर्निंग आफिसर नगर पंचायत गरियाबन्द के ज्ञापन दिनांक 25 जनवरी 2010 की प्रति संलग्न करते हुए उल्लेख किया गया कि उक्त पत्र के अनुसार निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 16 फरवरी 2010 तक जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), अविभाजित रायपुर को प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसे ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा दिनांक 10 फरवरी 2010 को व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), अविभाजित रायपुर को प्रस्तुत कर दिया गया था. कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रिटर्निंग आफिसर के उक्त ज्ञापन में दिये गये निर्देशानुसार उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा 16 फरवरी 2012 के पूर्व प्रस्तुत किया गया है. तथापि अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा निहित समय एवं अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये जाने का उल्लेख किया गया है. अत: विलम्ब के लिए उनके द्वारा क्षमा चाही गई.

4. अभ्यर्थी के जवाब के सन्दर्भ में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), अविभाजित रायपुर का अभिमत चाहा गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), अविभाजित रायपुर ने पत्र क्रमांक 611 दिनांक 24 मार्च 2012 के द्वारा अभिमत दिया कि अभ्यर्थी ममता राठौर द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 25 जनवरी 2010 तक जमा नहीं कराने की जानकारी प्राप्त होने पर निर्वाचन व्यय लेखा जमा कराने के उद्देश्य से श्री एन. एस. ठाकुर तत्कालीन तहसीलदार एवं सहायक रिटर्निंग आफिसर नगर पंचायत गरियाबन्द द्वारा दिनांक 25 जनवरी 2010 को पत्र जारी किया गया जिसमें निर्वाचन व्यय लेखा जमा किये जाने संबंधी तिथि की स्पष्ट जानकारी नहीं होने के कारण लिपिकीय त्रुटि/भूलवश निर्वाचन व्यय लेखा जमा किये जाने की तिथि 16 फरवरी 2010 अंकित की गई थी. इस पर अभ्यर्थी को आयोग द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए आयोग के सूचना पत्र दिनांक 5 मई 2012 द्वारा दिनांक 7 जून 2012 को सुनवाई हेतु आहूत किया गया. अभ्यर्थी का शपथपूर्वक बयान लिपिबद्ध किया गया. अभ्यर्थी ने शपथपूर्वक बयान में उनके द्वारा आयोग में प्रस्तुत किये गये जवाब में उल्लेखित की गई बातों को दोहराते हुए त्रुटि के लिए क्षमा प्रदान करने का निवेदन किया गया.

5. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), अविभाजित रायपुर के प्रतिवेदन, अभ्यर्थी के जवाब तथा प्रकरण से सम्बन्धित अन्य अभिलेखों का परिशीलन किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), अविभाजित रायपुर ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थी ममता राठौर ने निर्वाचन व्यय लेखा नियत समयावधि के अंदर प्रस्तुत नहीं किया है. यह

अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 32-क (1) निम्नानुसार है :—

"धारा 32-क. (1) अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा—प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 32-ख निम्नानुसार है :

"धारा 32-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना—अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 07 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. अत: उक्त व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 27 जनवरी 2010 तक प्रस्तुत करना था यद्यपि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), अविभाजित रायपुर ने इसे 26 जनवरी 2010 उल्लेखित किया है.

6. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), अविभाजित रायपुर के प्रतिवेदन, अभ्यर्थी के जवाब तथा प्रकरण से सम्बन्धित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत गरियाबन्द के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाली अभ्यर्थी ममता राठौर ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के पास नियत समयावधि के अन्दर दाखिल न कर दिनांक 10 फरवरी 2010 को दाखिल किया है. इस संबंध में अभ्यर्थी की दलील है कि तत्कालीन तहसीलदार एवं सहायक रिटर्निंग आफिसर नगर पंचायत गरियाबन्द द्वारा दिनांक 25 जनवरी 2010 को जारी किये गये पत्र में निर्वाचन व्यय लेखा जमा किये जाने हेतु 16 फरवरी 2010 तक का समय प्रदान किया गया जिसको ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा 10 फरवरी 2010 को निर्वाचन व्यय लेखा निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किया गया. सहायक रिटर्निंग आफिसर नगर पंचायत, गरियाबन्द के उक्त पत्र, जिसके द्वारा कथित रूप से दिनांक 16 फरवरी 2010 तक समय देने की दलील दी गई है, पूर्ण रूप से विधि विपरीत एवं क्षेत्राधिकारविहीन है. अत: उससे अभ्यर्थी को विधिवत् कोई समयवृद्धि नहीं मिल सकती क्योंकि ऐसा अधिकारविहीन, विधि विपरीत निर्देश शून्य एवं प्रभावहीन होता है. अधिनियम में नियत समयसीमा में वृद्धि करने की शक्ति किसी भी प्राधिकारी अथवा अधिकारी को प्राप्त नहीं है. यहां यह विचारणीय है कि क्या तहसीलदार एवं सहायक रिटर्निंग आफिसर नगर पंचायत या अन्य किसी अधिकारी के द्वारा नियत की गई तिथि, जो अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप नहीं हैं, को निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी से निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने की अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षा की पूर्ति हो जाती है. इस सन्दर्भ में यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि सुलभ सन्दर्भ हेतु निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 1997 की प्रति अभ्यर्थी को उपलब्ध करायी गई थी. व्यय लेखा मय सुसंगत दस्तावेज के निर्धारित समयावधि दिनांक 27 जनवरी 2010 तक प्रस्तुत करना था. लेकिन वास्तव में प्रश्नाधीन निर्वाचन व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को दिनांक 10 फरवरी 2010 प्रस्तुत किया गया. इससे अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती; क्योंकि निर्वाचन व्यय लेखा आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी अर्थात् जिला निर्वाचन अधिकारी को विहित समय के अन्दर प्राप्त नहीं हुआ. अभ्यर्थी ने भी अपने जवाब में यह स्वीकार किया है कि निर्वाचन व्यय लेखा विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है. अत: यह प्रस्तुत किया गया है. अत: यह स्पष्ट है कि अभ्यर्थी ममता राठौर प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रही हैं तथा वे इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखती हैं. तदनुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार उपरोक्त अभ्यर्थी ममता राठौर को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से चार वर्ष की कालावधि के लिये नगर पंचायत का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

7. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 4 जुलाई 2012 को जारी किया गया.

हस्ता./-

(पी. सी. दलेई)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.